बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–1417 दिनांक–10.02.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री राजेश कुमार भारती (पैतृक विभाग–सहकारिता विभाग, बिहार, पटना), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, लखीसराय सम्प्रति सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, झंझारपुर अंचल के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–3600 दिनांक–11.12.2025 द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आलोक में श्री भारती के विरूद्ध गठित आरोपों की वृहद जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। श्री भारती के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है तथा प्रस्तुत मामले में उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में किसी पदाधिकारी को नामित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में श्री भारती के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, लखीसराय को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08–गो0नि0(लखीसराय)–21/2025– 1370 /खाद्य,पटना/दिनांक– 19/03/2026
प्रतिलिपि– मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एंव असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं लखीसराय/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा–सह–संचालन पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, लखीसराय–सह–उपस्थापन पदाधिकारी (कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–1417 दिनांक–10.02.2026 की प्रति के साथ)/कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राजेश कुमार भारती, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय–सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ, झंझारपुर अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

2020/Sec_8/Office Order.Doc